संख्या– 554 / नौ–9–14–123ज / 11

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2014

विषय– 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में समस्त नागर निकायों को सामान्य बुनियादी एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक इस शर्त के अधीन बढ़ाई जाती है कि समस्त नागर निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे की उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

3. निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। उक्त अवधि में अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग न किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी(द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय),उ0प्र0
2. समस्त कोषाधिकारी(द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय),उ0प्र0
3. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधि. अधिकारी,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ0प्र0।
5. वित्त संसाधन(वित्त आयोग)अनुभाग–1
6. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता)अनुभाग–1
7. गार्ड फाइल / वेब मास्टर,वेब साइट पर लोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

Spgo-2